

अतः अशर्ही ए. उ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्तु आवरण ता.पत्र दि. 25/07/23 को भेरा हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

25/7/23
पत्रावली पेश हुई विकेन पदाकारान उप
पी ओ. साहब दीरे/अपकरण पर पधार है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 25/07/23

27/7/23
पत्रावली पेश हुई विकेन पदाकारान उप
पी ओ. साहब दीरे/अपकरण पर पधार है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 27/7/23

31/07/23

76/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्ही एवं शर्ही
द्वारा उप. उनके द्वारा ता.पत्र वास्तु राजीनामा
रिकार्ड पर गृहण करण राजीनामा के रद्द में
नोटिस किये जाने की अनुमति रिचें जाने आवक
बाबत पेश कर निवेदन किया की. शर्ही एवं
अशर्ही के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत
काद विवाद हो गया था। उक्त काद विवाद
का शर्ही एवं अशर्हीगण तथा उनके पारिवारिक
द्वय के मध्य लोक अदालत की भावना से
सुलहनामा करवाया जा चुका है। अतः उक्त
ता.पत्र को नोटिस किये जाने की कण करो।
अतः शर्ही का शर्ही का पत्र शर्ही दरमद
धारित किया जाता है। पत्रावली के मुकल शुमार
होकर पत्रावली नम्बर से कम है।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

शर्ही
(रामनव)